

उपरोक्त प्रकारवाले व्यक्तियों को  
दिनांक 27/11/2020 को पेश हो। पूर्व का  
आदेश अमान्य रहेगा।

उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक कलेक्टर करेड़ा

~~27/11/2020 परमावली पेश हुई।  
प्राथमिक एवं वकील वर्गीकृत  
अनुपस्थित प्रत्येक वकील  
उपस्थित एवं स्वपंजीयित  
के बंधु बाल रुक-रुक पर  
आवाजे लगावाये गये किन्तु  
वकील वर्गीकृत एवं स्वपंजीयित  
के अनुपस्थित रहने से उपस्थित  
का उपस्थित परमावली अप्रत्यक्ष  
अपम पेशी में रखा जा किन्तु  
आता ही परमावली अप्रत्यक्ष  
शुमार हो कर नंबर से कम  
से जाये।~~